पत्रांक–11 न0 वि0 अभि0 (को0) 405/2017 1160 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
किशनगंज।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, ठाकुरगंज।

पटना, दिनांक 12/9/18

विषयः– नली–गली सात निश्चय योजना अन्तर्गत नगर पंचायत, ठाकुरगंज के 06 (छः) योजनाओं का परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, ठाकुरगंज का पत्रांक–688 दिनांक–25.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा नली–गली सात निश्चय योजना अन्तर्गत नगर पंचायत, ठाकुरगंज के 06 (छः) योजनाओं का परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है।

सभी 06 (छः) योजनाओं का तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, डुडा, किशनगंज द्वारा प्रदत्त है।

परिमाण विपत्रों के जाँचोपरान्त पाया गया कि प्रभावी अनुसूचित दर लागू करने पर परिमाण विपत्र की राशि में वृद्धि हो रही है एवं वह प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति की राशि से बढ़ रही है।

अतः निदेश दिया जाता है कि प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत नये प्रभावी अनुसूचित दर पर परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित किया जाय।

तत्काल सभी 06 योजना का परिमाण विपत्र लौटाया जा रहा है।

विश्वासभाजन

12/9/18

अनु0:–यथोक्त।

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।